संख्या- 16/2022/312/001-87-01002-002-2-2022-अति0 ऊ0 स्रो0 वि0

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ : दिनांक 04 मई, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यो के संचालन हेतु मद संख्या-20 (गैर वेतन) में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-225/उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0 /2022, दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष ऊर्जा विकास अभिकरण उ0प्र0 को आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अंतर्गत मद संख्या-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख में से धनराशि रू0 33,00,000/- (रूपये तैंतीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- लेखानुदान के अन्तर्गत व्यवस्थित/स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369 एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

4- उक्त धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/ पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं-वि0वि0-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या/-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,00,000 (रुपये तैंतीस लाख मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810018000300 उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/ दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्याः 5/2022/ बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-16/2022/312/001-87-01002-002-2-2022-अति0 ऊ0 स्रो0 वि0, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।